	कार्यालय नगर निगम हैरिटेज जयपुर **(जलेबी चौक, पुराना पुलिस मुख्यालय भवन, जयपुर)**	150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA
क्रमांकः— एफ.29 ( )अधि,अभि,प्रो / ननिज है / 2022—23 /	**दिनांकः—**	

हेरिटेज निगम की पशु प्रबंधन शाखा ने की कार्रवाई

खुले में अवैध मांस बेचने पर 35 किलो मांस जब्त, एक दुकान की सीज

नगर निगम हेरिटेज की पशु प्रबंधन शाखा ने गुरुवार को बिना लाइसेंस और खुले में मीट बेचने वाली दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक दुकान सीज की है। हेरिटेज निगम के पशु प्रबंधन शाखा उपायुक्त राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि हेरिटेज निगम की ओर से बिना लाइसेंस और खुले में मांस बेचने पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार को निगम टीम ने पठानों का चोक, ब्रह्मपुरी, हांडीपुरा, घोड़ा निकास रोड, कसाइयों की मोरी, चार दरवाजा इलाके में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई दुकानों पर खुले में मीट बेचा जा रहा था । जिस पर कार्रवाई करते हुए 7300रुपए का चालान किया गया। साथ ही एक मीट दुकान को सीज किया गया। इसके अलावा 35 किलो अवैध मीट को जब्त कर नष्ट कराया गया। पशु प्रबंधन उपायुक्त राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि शाखा की ओर से लगातार कार्रवाई की जाएगी। नियमों के विपरीत दुकान चलाने पर आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।